

वेबसाईट www.govtressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016-अग्रहायण 25, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मैं, ब्रह्मर्षि शुक्ला पिता देवर्षि, निवासी-ए.जी.-91, स्कीम नं. 54, विजय नगर, इन्दौर के नाम से जाना जाता था। व्यक्तिगत कारणों से अब ब्रह्मर्षि सिंह के नाम से जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम :

नया नाम :

(ब्रह्मर्षि शुक्ला)

(ब्रह्मर्षि सिंह)

ए.जी.-91, स्कीम नं. 54, विजय नगर,
इन्दौर, मध्यप्रदेश।

(531-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, बृजमोहनसिंह भाटिया पिता राजेन्द्रसिंह भाटिया जो कि यह मेरा पुराना नाम है अब मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम बृजमोहनसिंह भाटी रख लिया है अब से मुझे मेरे नए नाम बृजमोहनसिंह भाटी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे। सूचित हो।

नया नाम :

(बृजमोहनसिंह भाटिया)

(बृजमोहनसिंह भाटी)

(532-बी.)

115, स्टेशन रोड, रतलाम, मध्यप्रदेश।

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम "मधु देव पति नरेश देव" था परन्तु अब मुझे "सोनल देव पति नरेश देव" के नाम से जाना-पहचाना जावे साथ ही समस्त व्यवहार इसी नाम से किया जावें।

नया नाम :

पुराना नाम :

(सोनल देव)

(मधु देव)

पति नरेश देव,

पति नरेश देव।

एमआर-8, 53, प्रकृति इनकलेव,

(533-बी.)

भिचौली रोड, इन्दौर 452001।

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व में नाम “चिराग गुप्ता पिता श्री विष्णुकुमार गुप्ता” था परन्तु अब मुझे “चिराग गोयल पिता श्री विष्णुकुमार गुप्ता” के नाम से जाना-पहचाना जावे साथ ही समस्त व्यवहार इसी नाम से किया जावे।

पुराना नाम :

(चिराग गुप्ता)

पिता श्री विष्णुकुमार गुप्ता.

नया नाम :

(चिराग गोयल)

पिता श्री विष्णुकुमार गुप्ता,
303-ए, ओम हाईट, पलहर नगर,
ओम विहार कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.) 452005.

(534-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम मिलिन्द कुमार भटोरे पिता श्री नरेन्द्र कुमार था। वर्तमान में परिवर्तित होकर मेरा नाम मिलिन्द कुमार मुदगील (Milind kumar Mudgil) होकर मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(मिलिन्द कुमार भटोरे)

नया नाम :

(मिलिन्द कुमार मुदगील)

ए-53, LIG हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,
बडवाह, जिला खरगौन, (मध्यप्रदेश).

(536-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम अश्विनी कुमार भटोरे पिता श्री नरेन्द्र कुमार था। वर्तमान में परिवर्तित होकर मेरा नाम अश्विनी कुमार मुदगिल (Ashwini kumar Mudgil) होकर मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(अश्विनी कुमार भटोरे)

नया नाम :

(अश्विनी कुमार मुदगिल)

ए-53, LIG हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी,
बडवाह, जिला खरगौन, (मध्यप्रदेश).

(535-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा पूरा नाम देवेन्द्र सिंह धनगर है, किन्तु मेरी 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम देवेन्द्र धनगर लिखा हुआ है इसके अलावा अन्य सभी दस्तावेजों व अंकसूचियों में मेरा पूरा नाम देवेन्द्र सिंह धनगर लिखा हुआ है। अतः भविष्य में मुझे सभी सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों में मेरे पूरे नाम देवेन्द्र सिंह धनगर से लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(देवेन्द्र धनगर)

नया नाम :

(देवेन्द्र सिंह धनगर)

(DEVENDRA SINGH DHANGAR)

पिता लाल सिंह धनगर,

म. नं. 31, ग्राम गौरा भद्रभदा रोड,

तहसील हुजूर, पोस्ट-सूरज नगर,

जिला-भोपाल मध्यप्रदेश 462044.

(537-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम कृष्णा बाई है, किन्तु मेरे पुत्र देवेन्द्र सिंह धनगर की कुछ अंकसूचियों में मेरा नाम कृष्णा धनगर लिखा हुआ है एवं कुछ अंकसूचियों में मेरा नाम कृष्णा बाई लिखा हुआ है। अतः उसके सभी दस्तावेजों में मुझे कृष्णा बाई नाम से लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(कृष्णा धनगर)

नया नाम :

(कृष्णा बाई)

(KRISHNA BAI)

पति लाल सिंह धनगर,

ग्राम गौरा भद्रभदा रोड, तहसील हुजूर,
पोस्ट-सूरज नगर, जिला भोपाल (म.प्र.).

(538-बी.)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम विकास मांझी पिता विश्वनाथ मांझी है, किन्तु मेरी 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम विकाश मांझी पिता विश्वनाथ मांझी लिखा हुआ है, इसके अलावा अन्य सभी दस्तावेजों व अंकसूचियों में मेरा सही नाम विकास मांझी पिता विश्वनाथ मांझी लिखा हुआ है। अतः भविष्य में मुझे सभी सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजों में मेरे सही नाम विकास मांझी पिता विश्वनाथ मांझी से लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम :

(विकाश मांझी)

(VIKASH MANJHI)

(539-बी.)

नया नाम :

(विकाश मांझी)

(VIKAS MANJHI)

पिता विश्वनाथ मांझी,

S/o Vishwanath Manjhi

सेंवनिया गोंड, भद्रभदा रोड,

तहसील हुजूर, पोस्ट-सूरज नगर,

जिला भोपाल (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मैं, रविन्द्र सिंह पुत्र ओम प्रकाश यह सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे पुत्र मनीष शर्मा की दसवीं एवं बारहवीं (10 व 12) की अंकसूची एवं सनद में मेरा नाम रविन्द्र शर्मा अंकित हो गया है जो कि पूर्णतः गलत है। मेरा वास्तविक नाम रविन्द्र सिंह है। मेरे पुत्र को भविष्य में मनीष शर्मा पुत्र रविन्द्र सिंह के नाम से जाना जाए।

पुराना नाम :

(रविन्द्र शर्मा)

(540-बी.)

नया नाम :

(रविन्द्र सिंह)

एफ-46, आदित्य विहार,

आदित्यापुरम, भिण्ड रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, Mushtaque Barnagarwala changed my name to Mushtaka Ali Barnagarwala S/o Nazar Husain and now I would be known as Mushtak Ali Barnagarwala.

Old Name:

(MUSHTAQUE BARNAGAWALA)

(541-B.)

New Name :

(MUSHTAK ALI BARNAGARWALA)

S/o Nazar Husain,

69, Saifee Nagar, Indore.

नाम परिवर्तन

मेरा नाम जगदीश अग्रवाल एण्ड संस (एच.यू.एफ.) फर्म में कर्ता की हैसियत से हूँ जबकि मेरे (एच.यू.एफ) के पेन कार्ड क्र. AAAHJ-5972-J में मेरा नाम जगदीश गर्ग एण्ड संस भूलवश हो गया है। जिसे सुधार कर मेरा नाम जगदीश अग्रवाल एण्ड संस (JAGDISH AGARWAL एण्ड संस) एच. यू. एफ. फर्म में सुधार कर पढ़ा एवं समझा जाये।

पुराना नाम :

(जगदीश गर्ग एण्ड संस)

(एच. यू. एफ.)

(542-बी.)

नया नाम :

(जगदीश अग्रवाल एण्ड संस)

(एच. यू. एफ.)

रामकृष्ण राजपायगा रोड,

नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) 474009.

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन सूचना-पत्र)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स शिव शक्ति एसोसिएट्स पंजीयन क्रमांक 125, सन् 2000-2001, दिनांक 13-03-2001 में से भागीदार श्री सतीश शर्मा आत्मज श्री बंशीलाल शर्मा एवं श्रीमती राजकुमारी रावत पत्नी स्व. श्री बंशीधर रावत फर्म की भागीदारी से दिनांक 23-11-2016 से पृथक् हो गये हैं तथा श्रीमती चन्द्रप्रभा वाजपेयी पत्नी श्री रामकृष्ण बाजपेयी फर्म की भागीदारी में दिनांक 23-11-2016 सम्मिलित हो गई हैं।

आराधना,

(पार्टनर)

म. नं. 117, सेक्टर-1, शक्ति नगर,

भोपाल (म.प्र.).

(543-बी.)

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन सूचना-पत्र)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स बीकान, आर. बी. एस. एसोसिएट्स, रजिस्टर्ड कार्यालय ई-8/19, दूरसंचार नगर, गुलमोहर कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) फर्म पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00139/10, दिनांक 8-6-2010 उक्त फर्म की भागीदारी में पीताम्बर दत्त आत्मज श्री देवी दत्त, इम 38 वर्ष, निवासी अ-156, रोहित नगर, एक्सटेंशन फैस-2, पार्ट 3, अपोजिट सागर पब्लिक स्कूल, भोपाल फर्म की भागीदारी से दिनांक 15-11-2016 से निवृत (Retired) हो गये हैं।

(1) श्री ब्रिजेश सोनी, (2) श्री दीपक रघुवंशी, (3) श्री सन्देश भार्गव, (4) श्री अनिश खान, (5) श्री पंकज सोनी, (6) श्रीमती अनीता सोनी, (7) श्रीमती कृष्णा सोनी, (8) पीताम्बर दत्त।

मैसर्स बीकान आर. बी. एस. एसोसिएट्स,

ब्रिजेश सोनी,

(भागीदार)

ई-8/19, दूरसंचार नगर, गुलमोहर कॉलोनी,

भोपाल (म.प्र.).

(544-बी.)

संशोधन

मैं बालाजी इंटरप्राइजेज फर्म के रजिस्टर्ड कार्यालय में क्र. 02/42/1/00063/06, सन् 2006-07 के रूप में दर्ज है।-

1. यह कि भागीदारी फर्म दिनांक 29-09-2005 को रजिस्टर्ड 54 रु. 01-09-2006 को कराई गई थी। जिसमें स्वेच्छा से श्री शरद गौतम, श्री पुनीत गौतम, श्री अरुण पाठक तीन पार्टनर थे।
2. जिसमें कि पार्टनर 1. शरद गौतम पुत्र स्व. श्री हरिशंकर गौतम पार्टनर, श्री अरुण पाठक पुत्र श्री कुंजबिहारी पाठक अपनी स्वेच्छा से इस फर्म से बाहर हो गये हैं जिनका अब इस फर्म से कोई भी किसी प्रकार का लेन-देन नहीं है।
3. यह कि फर्म में नवीन पार्टनर के रूप में श्रीमती प्रतिभा गौतम को अपनी स्वेच्छा से जोड़ा गया है।
4. यह कि फर्म में अब सिर्फ दो ही पार्टनर रहेंगे जिनमें श्रीमती प्रतिभा गौतम पलि श्री शरद गौतम, थाटीपुर, निवासी का फर्म में 60 प्रतिशत की भागीदारी एवं श्री पुनीत गौतम पुत्र श्री एच. एस. गौतम, निवासी थाटीपुर की 40 प्रतिशत की भागीदारी रहेगी। यह संशोधन-पत्र सभी पार्टनर ने अपने होश-हवास में लिख दिया है।

For Balaji Enterprises,
1. प्रतिभा गौतम, (2) पुनीत गौतम,
(Partner).

(545-बी.)

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 19-11-2016 से फर्म मैसर्स श्री पवनदेव कन्स्ट्रक्शन भागीदार क्र.3 विवेक सिंह, भागीदार क्र. 5 श्रीमती कान्ता सिंह, भागीदार क्र. 6 श्री आई. पी. पटेल, भागीदारी क्र. 7 अरविन्द सिंह ठाकुर, भागीदारी क्र. 8 विशाल सिंह, भागीदारी क्र. 9 जगदीश सिंह फर्म से अलग हो रहे एवं फर्म का पता 24 हाउसिंह बोर्ड कॉलोनी तिली सागर रहेगा।

मैसर्स पवनदेव कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
सूर्यकांत सिंह,
(पार्टनर)

MIG-24, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,
तिली रोड, सागर (म.प्र.).

(546-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्डौर

फर्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

आधेक श्री वीरमणी चन्द्रप्रभु स्वामी जैन श्वेताम्बर मंदिर एण्ड उपाश्रय रिलीजयस ट्रस्ट, पता-11 ग्रीन पार्क कॉलोनी, इन्डौर

तर्फे अध्यक्ष श्री कल्पेश गांधी पिता हेमन्तलाल गांधी, निवासी-28, कंचनबाग, इन्दौर अन्य-8 के द्वारा श्री वीरमणी चन्द्रप्रभु स्वामी जैन श्वेताम्बर मंदिर एण्ड उपाश्रय रिलीजयस ट्रस्ट, कार्यालय पता-11 ग्रीन पार्क कॉलोनी, इन्दौर, जिला इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यायर के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री वीरमणी चन्द्रप्रभु स्वामी जैन श्वेताम्बर मंदिर एण्ड उपाश्रय रिलीजयस ट्रस्ट
पता	:	11 ग्रीन पार्क कॉलोनी, इन्दौर, जिला इन्दौर (म.प्र.)
अचल सम्पत्ति	:	वर्तमान में संस्था को दान की गई भूमि 10,400 वर्गफीट है। जो ग्राम निपानिया, तहसील इन्दौर, जिला इन्दौर पटवारी हल्का नम्बर 17 में स्थित है।
चल सम्पत्ति	:	वर्तमान में संस्था के पास चल सम्पत्ति में संस्था के खाते में कुल रु. 37,37,395/- (अक्षरी रूपये सेतीस लाख सेतीस हजार तीन सौ पन्चानवैं) है।

आज दिनांक 8 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

अजीत कुमार श्रीवास्तव,

रजिस्ट्रार,

(855)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार ट्रस्ट (शहर) रत्लाम

क्र.01/बी-113(1)/2016-17.

रत्लाम, दिनांक 22 नवम्बर, 2016

फार्म-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 (2) के तहत]

क्र.01/आर-3/16.-आवेदक श्री साँई सेवा समिति ट्रस्ट साँई बाबा मंदिर, शास्त्री नगर रत्लाम के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत “श्री साँई सेवा समिति ट्रस्ट साँई बाबा मंदिर शास्त्री नगर, रत्लाम म.प्र. के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 को की जावेगी।

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 को इस न्यायालय में अपने लिखित बक्तव्य की प्रतियों प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित होवें। निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

-अनुसूची-

पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण,

न्यासी का पूरा नाम	:	“श्री साँई सेवा समिति ट्रस्ट साँई बाबा मंदिर, शास्त्री नगर, रत्लाम म.प्र.”।
अचल सम्पत्ति	:	1. संत निवास, चिकित्सा परामर्श कक्ष एवं योगा हाल-2,16,735.00. 2. मंदिर भूमि नगर सुधार न्यास रत्लाम द्वारा आवंटित भूमि पर निर्माण अनुमानित कीमत-82,49,351.00
चल सम्पत्ति	:	संलग्न चल, अचल सम्पत्ति, सूची अनुसार।

(857)

सुनिल झा,
रजिस्ट्रार,

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर

सागर, दिनांक 10 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2068.-श्री गंगा महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., मगरथा, विकासखण्ड रहली, जिला सागर पंजीयन क्र. 865, दिनांक 08 जुलाई, 2002 को कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2011/3611, दिनांक 25 नवम्बर, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, रहली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 28 सितम्बर, 2016 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/765, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए श्री गंगा महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., मगरथा, विकासखण्ड रहली, जिला सागर पंजीयन क्र. 865, दिनांक 08 जुलाई, 2002 को पुनर्जीवित करता हूँ। साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ:-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती कुसुमरानी	श्री धनीराम कुर्मा	अध्यक्ष	7.	श्रीमती अंगीता	श्री उत्तम कुर्मा	सदस्य
2.	श्रीमती सिंगार रानी	श्री राजकुमार कुर्मा	उपाध्यक्ष	8.	श्रीमती अनोत्री	श्री रवि कुर्मा	सदस्य
3.	श्रीमती तारारानी	श्री सुदामा चमार	सदस्य	9.	श्रीमती उमेदा	श्री चौदे ऐकवार	सदस्य
4.	श्रीमती कोशल्यारानी	श्री बलरामआदिवासी	सदस्य	10.	श्रीमती प्रकाशरानी	श्री रामेश आदिवासी	सदस्य
5.	श्रीमती राधारानी	श्री रामेश्वर ऐकवार	सदस्य	11.	श्रीमती शांति	श्री भगोते आदिवासी	सदस्य
6.	श्रीमती सुमन	श्री पूरन सिंहलोधी	सदस्य				

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे।

यह आदेश आज दिनांक 10 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(858)

सागर, दिनांक 10 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2069.-महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., झागरी, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर पंजीयन क्र. 1177, दिनांक 16 फरवरी, 2005 को कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2010/162, दिनांक 20 अगस्त, 2010 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, बण्डा को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/765, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए

महिला बहुउद्घयीय सहकारी समिति मर्या., झागरी, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर पंजीयन क्र. 1177, दिनांक 16 फरवरी, 2005 को पुनर्जीवित करता हूँ, साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ:-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती मालतीबाई	श्री मनोहर	अध्यक्ष	7.	श्रीमती दशोदा	श्री मुलू	सदस्य
2.	श्रीमती भारती	श्री ओमकार	उपाध्यक्ष	8.	श्रीमती शीलारानी	श्री सुमेर	सदस्य
3.	श्रीमती संगीताबाई	श्री चन्द्रभान	सदस्य	9.	श्रीमती सुरेशरानी	श्री पेरन	सदस्य
4.	श्रीमती रामकुंवरबाई	श्री हरनाम	सदस्य	10.	श्रीमती मालती	श्री सुरेन्द्र	सदस्य
5.	श्रीमती द्रोपतीबाई	श्री दुर्गा	सदस्य	11.	श्रीमती कल्लोबाई	श्री सरमन	सदस्य
6.	श्रीमती सीतारानी	श्री भगत	सदस्य				

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे।

यह आदेश आज दिनांक 10 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(858-A)

सागर, दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

मधुकरशाह प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., मधुकरशाहवार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर पंजीयन क्र. 327, दिनांक 20 अप्रैल, 1981 को कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/749, दिनांक 24 अप्रैल, 2013 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, सागर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 20 अक्टूबर, 2016 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/1609, दिनांक 6 जुलाई, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए मधुकरशाह प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., मधुकरशाहवार्ड सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर पंजीयन क्र. 327, दिनांक 20 अप्रैल, 1981 को पुनर्जीवित करता हूँ, साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ:-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम
1.	श्री रमाकांत	श्री जयगोपाल तिवारी	अध्यक्ष	7.	निकीता	श्री राजेश	सदस्य
2.	श्री राजकुमार	श्री प्रेमनारायण	उपाध्यक्ष	8.	श्रीमती गुंजन	श्री महेश	सदस्य
3.	श्री मनीष	श्री अंबिकायादव	सदस्य	9.	श्रीमती बन्दना	श्री मनोज	सदस्य
4.	श्री राजेश कुमार	श्री प्रेमनारायण	सदस्य	10.	श्री मंजूलता	श्री रामकुमार तिवारी	सदस्य
5.	श्री अशोक कुमार	श्री शालिगराम	सदस्य	11.	श्री प्रियरंजन	श्री शिवशंकर तिवारी	सदस्य
6.	श्री नवीन	श्री शिवशंकर तिवारी	सदस्य				

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(858-E)

सागर, दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

मछुआ सहकारी समिति मर्या., नरयावली, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्र. 1324, दिनांक 13 फरवरी, 2009 को कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/141, दिनांक 11 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, राहतगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 22 अक्टूबर, 2016 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/765, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए मछुआ सहकारी समिति मर्या., नरयावली, विकासखण्ड राहतगढ़, जिला सागर पंजीयन क्र. 1324, दिनांक 13 फरवरी, 2009 को पुनर्जीवित करता हूँ। साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ:-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम
1.	श्री ठाकुर दास	श्री छतोर आदिवासी	अध्यक्ष	7.	श्रीमती पानवाई	श्री रघवीर आदिवासी	सदस्य
2.	श्री राजारामसेन	श्री भरोसी सेन	उपाध्यक्ष	8.	श्रीमती संतोष रानी	श्री दिलीप अहिरबार	सदस्य
3.	श्री सुरेश	श्री भगवानदास विश्वकर्मा	सदस्य	9.	श्रीमती राजकुमारी	श्री सरमन रैकवार	सदस्य
4.	श्री राजू	श्री भगवानदास	सदस्य	10.	श्रीमती सायना	श्री वहीद खान	सदस्य
5.	श्री सचिन	श्री राम साहू	सदस्य	11.	श्रीमती राधारानी	श्री विमल रजक	सदस्य
6.	श्रीमती सुशीला	श्री मुना नामदेव	सदस्य				

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(858-F)

सागर, दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., ढाबरी, विकासखण्ड मालथोन, जिला सागर पंजीयन क्र. 1104, दिनांक 25 मार्च, 2004 को कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2011/277, दिनांक 11 जनवरी, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, मालथोन को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था। संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 15 अक्टूबर, 2016 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुये प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया। पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश/क्र./परिसमापन/2016/765, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति मर्या., ढाबरी, विकासखण्ड मालथोन, जिला सागर पंजीयन क्र. 1104, दिनांक 25 मार्च, 2004

को पुनर्जीवित करता हूँ। साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निमानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ:-

क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	क्र.	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम
1.	श्रीमती उषारानी	श्री प्रमोदराय	अध्यक्ष	7.	श्रीमती तारारानी	श्री छक्कूलाल आदि.	सदस्य
2.	श्रीमती मीरारानी	श्री पुरुषोत्तम पटेल	उपाध्यक्ष	8.	श्रीमती करीनाबाई	श्री मलखान आदिवासी	सदस्य
3.	श्रीमती मायारानी	श्री हलकोटी आदिवासी	सदस्य	9.	श्रीमती रामकली	श्री गजराज चढ़ार	सदस्य
4.	श्रीमती गेंदारानी	श्री टीकाराम आदिवासी	सदस्य	10.	श्रीमती मुल्लाबाई	श्री रूप सिंह पटेल	सदस्य
5.	श्रीमती सुहागरानी	श्री निरपत अहिरवार	सदस्य	11.	श्रीमती भागबाई	श्री हल्लालाल पटेल	सदस्य
6.	श्रीमती सरोजबाई	श्री रमेश कुशवाहा	सदस्य				

संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(858-G)

सागर, दिनांक 10 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2010.-प्रभु बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बण्डा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 1258, दिनांक 21 जनवरी, 2008 है। कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/818, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री आर. जे. खरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी बण्डा, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः पी. आर. कावड़कर, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीयां सागर, (म.प्र.) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रभु बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बण्डा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 1258, दिनांक 21 जनवरी, 2008 का पंजीयन निरस्त करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कारपोरेट), इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 10 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(858-B)

सागर, दिनांक 10 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2011.-अम्बेडकर बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बण्डा, वार्ड क्र. 3, 4 विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 1249, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 है। कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/819, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री आर. जे. खरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी बण्डा, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटी सागर (म.प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अम्बेडकर बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., बण्डा, वार्ड क्र. 3, 4 विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 1249, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 10 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(858-C)

सागर, दिनांक 10 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/2012.-रानीदुर्गावाती बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कंदवा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 1235, दिनांक 13 अगस्त, 2007 है। कार्यालयीन आदेश क्र./विधि/820, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा परिसमापन में लाया गया था। परिसमापक श्री आर. जे. खरे, सहकारी निरीक्षक/सहकारिता विस्तार अधिकारी बण्डा, जिला सागर द्वारा विधिवत कार्यवाही कर संस्था की लेनदारी व देनदारी समाप्त की जाकर संस्था का पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, पी. आर. कावड़कर, उप-पंजीयक, सहकारी सोसायटी सागर (म.प्र.), मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रानीदुर्गावाती बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., कंदवा, विकासखण्ड बण्डा, जिला सागर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्र. 1235, दिनांक 13 अगस्त, 2007 का पंजीयन निरस्त करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) इस आदेश दिनांक से समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 10 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

पी. आर. कावड़कर,

उप-रजिस्ट्रार।

(858-D)

कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

दिनांक 01 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 सी/ग के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.-उप-आयुक्त सहकारी संस्थाएं, खरगौन के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक
1	2	3	4
1.	दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., समराज	1454/21-10-2005	1071/27-08-2016
2.	मंडलेश्वर सहकारी कृषि उपज सह. संस्था मर्या., मंडलेश्वर	1239/31-12-1999	1071/27-08-2016
3.	माँ पावती कामगार कारीगर सह. संस्था मर्या., बेहगांव	1190/03-11-1998	1071/27-08-2016
4.	बालाजी बीज उत्पादक सह. संस्था मर्या., नवलपुर मंडलेश्वर	1673/21-11-2012	1071/27-08-2016
5.	श्री साईं बालाजी प्राथ. उपभोक्ता भण्डार सह. संस्था मर्या., महेश्वर	1627/24-01-2012	1071/27-08-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम क्रमांक 57 सी ग के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावे इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के भीतर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित में प्रस्तुत करें त्रुटि कि दशा में साहूकरण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जावेगा। संस्था का लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

आर. के. रोमडे,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(859)

कार्यालय जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., सिवनी

सिवनी, दिनांक 01 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./स्था./16-17/225.-संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश क्र./संपज/विधि/2016/45 जबलपुर,

दिनांक 07 जनवरी, 2016 द्वारा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., सिवनी, पंजीयन क्रमांक 114, दिनांक 28 जनवरी, 1967 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे (अधोहस्ताक्षरकर्ता) नरेश सिन्हा, उपायुक्त सहकारिता, जिला सिवनी में परिसमापक नियुक्ति किया गया है।

अतः मैं, नरेश सिन्हा, उपायुक्त, सहकारिता, सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उपरोक्त सहकारी संस्था के प्रति कोई दावे, आपत्तियां अथवा रिकार्ड्स/अभिलेख, राशि तथा लेनदारी/देनदारी शेष हो तो, वे इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह (60 दिवस) के अन्दर मुझे कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, सिवनी में उपस्थित होकर सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत करें समयावधि पश्चात् प्राप्त दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नकदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा देवें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

नरेश सिन्हा,
परिसमापक एवं उपायुक्त।

(860)

कार्यालय संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, संभाग जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 7 जनवरी, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्र./संपंज/विधि/2016/45.—जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., सिवनी, जिसका पंजीयन क्रमांक 114, दिनांक 28 जनवरी, 1967 है को परिसमापन में क्यों न लाया जाये इस हेतु कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/संपंज/विधि/2015/1549, जबलपुर, दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 को जारी किया जाकर जवाब देने हेतु 15 दिन की समयावधि दी गई थी। उक्त समयावधि में बैंक द्वारा पत्र क्रमांक/स्था/509, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 से पक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं हैं। बैंक के वित्तीय पत्रक अनुसार 30 जून, 2015 की स्थिति में कालातीत ऋण अवशेष 736.60 लाख रु. ब्याज 1027.65 लाख रु. एवं कुल 1764.25 लाख रु. है। वर्ष 2013-14 में वसूली का प्रतिशत 9 व वर्ष 2014-15 में 6 प्रतिशत रहा। प्रबंधकीय स्थापना व्यय 5.16 प्रतिशत संचित हानि 2177.81 लाख रु. है। ऋण वितरण अनेक वर्षों से नहीं किया जा रहा है। अतः बैंक की उक्त आर्थिक स्थिति के कारण मेरे मत से बैंक को परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मैं, पी. एस. तिवारी, संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश सहकारी संस्थायें अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार की शक्तियां जो मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त हैं का उपयोग करते हुए जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्या., सिवनी, जिसका पंजीयन क्रमांक 114, दिनांक 28 जनवरी, 1967 को एतद्वारा परिसमापन में लाता हूँ तथा साथ ही धारा-70 (1) के अन्तर्गत उप-आयुक्त सहकारिता, सिवनी को बैंक का परिसमापक नियुक्त करता हूँ, यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा। यह भी आदेशित किया जाता है कि उप-आयुक्त सहकारिता, सिवनी परिसमापक के रूप में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 के अन्तर्गत परिसमापन की समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन मुझे शीघ्रातिशीघ्र प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 07 जनवरी, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

पी. एस. तिवारी,
संयुक्त रजिस्ट्रार।

(861)

कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला-कटनी

कटनी, दिनांक 7 नवम्बर, 2016

क्र./संपंक/परि./16/1724.—माँ शारदा महिला ईधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बल्लभदास पटेल, वार्ड कटनी, पं. क्र. 181, दिनांक 06 जून, 2014 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपंक/परिसमापन/331, दिनांक 06 अप्रैल, 2015 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति

क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे वेचित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था माँ शारदा महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., बल्लभदास पटेल, वार्ड कटनी, प. क्र. 181 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 7 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(839)

कटनी, दिनांक 7 नवम्बर, 2016

क्र./संपंक/परि./16/1725.—लक्ष्मी नारायण प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., कटनी, प. क्र. 88, दिनांक 17 जून, 2008 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/संपंक/परिसमापन/1541, दिनांक 14 दिसम्बर, 2013 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी।

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियाँ जो मुझे वेचित हैं, का प्रयोग करते हुये संस्था लक्ष्मी नारायण प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., कटनी, प. क्र. 88 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 7 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

भरत कुमार मोदी,
सहायक पंजीयक।

(839-A)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन

रायसेन, दिनांक 16 नवम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेत्रडा महलपुर,
तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन।

क्र./परि./2016/963.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खेत्रडा महलपुर, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 1011, दिनांक 28 जनवरी, 2013 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है।—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है।
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निधीरित कोई बोर्ड भी नहीं है।

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही ही जावे।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें। यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 29 नवम्बर, 2016

को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वाछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(841)

रायसेन, दिनांक 16 नवम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पराती,

तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन।

क्र./परि./2016/964.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पराती, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 1018, दिनांक 23 फरवरी, 2013 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है।
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है।

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही ही जावे।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें। यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वाछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(841-A)

रायसेन, दिनांक 16 नवम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जिन्नौर,

तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन।

क्र./परि./2016/965.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुर्घट उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जिन्नौर,

तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 1257, दिनांक 9 जून, 2015 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है।—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है।
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है।

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही ही जावे।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें। यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(841-B)

रायसेन, दिनांक 16 नवम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खोडरपुर,

तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन.

क्र./परि./2016/966.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खोडरपुर, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 1034, दिनांक 23 फरवरी, 2013 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है।—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है।
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है।

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही ही जावे।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें। यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत

सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(841-C)

रायसेन, दिनांक 16 नवम्बर, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष/प्रबंधक,
दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महगावा,
तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन।

क्र./परि./2016/967.—अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महगावा, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्र. 1006, दिनांक 28 जनवरी, 2013 है की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है।—

1. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील है।
2. संस्था के सदस्य संस्था को कार्यशील बनाने में रुचि नहीं ले रहे हैं।
3. संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रही है।
4. संस्था निर्वाचन कराने में असमर्थ है।
5. पंजीकृत पते पर संस्था का कार्यालय व निर्धारित कोई बोर्ड भी नहीं है।

उपरोक्त कारणों से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के विरुद्ध परिसमापन की कार्यवाही ही जावे।

अतः मैं, के. व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला रायसेन एतद्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) की शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त है का उपयोग करते हुए यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था के अध्यक्ष/संचालक मण्डल को निर्देश देता हूँ कि उपर्युक्त आरोपों के संबंध में युक्तियुक्त पूर्ण उत्तर 30 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करें। यदि कोई अभिलेख प्रस्तुत करना चाहे तो दिनांक 29 नवम्बर, 2016 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपने निर्धारित समयावधि में संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान वांछित अभिलेख एवं पक्ष प्रस्तुत नहीं किया या अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है तथा आपको उपर्युक्त वर्णित आरोप स्वीकार हैं तथा मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन के आदेश जारी किये जा सकेंगे।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

के. व्ही. सोरते,
उप-पंजीयक।

(841-D)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 23 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	महिला दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बांगला	2282/17-11-2015

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब नियत तिथि 09 नवम्बर, 2016 तक चाहा गया था। परन्तु संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था द्वारा निवाचन नहीं कराये जाने एवं वर्तमान में अकार्यशील होने से यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्बुद्ध में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	महिला दुर्गाध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बांगला	2282/17-11-2015	श्री बी. एल. बागोरा, सहकारी निरीक्षक

यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(846)

उज्जैन, दिनांक 23 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	गिरीराज प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., उज्जैन	1753/21-09-2010

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब नियत तिथि 09 नवम्बर, 2016 तक चाहा गया था। परन्तु संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था द्वारा निवाचन नहीं कराये जाने एवं वर्तमान में अकार्यशील होने से यह प्रतीत होता है कि, संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्बुद्ध में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	गिरीराज प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., उज्जैन	1753/21-09-2010	श्री बी. एल. बागोरा, सहकारी निरीक्षक

यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(846-A)

उज्जैन, दिनांक 23 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	शुभम शक्ति चलित बुनकर सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1497/04-02-1999

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब नियत तिथि 02 नवम्बर, 2016 तक चाहा गया था. परन्तु संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	शुभम शक्ति चलित बुनकर सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1497/04-02-1999	श्री बी. एल. बागोरा, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(846-B)

उज्जैन, दिनांक 23 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नानाखेड़ी	2277/17-11-2015

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई नियत तिथि 02 नवम्बर, 2016 तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं सहकारी सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य, संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम
1.	दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नानाखेड़ी	2277/17-11-2015	श्री बी. एल. बागोरा, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 23 नवम्बर, 2016 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(846-C)

मनोज जायसवाल,

उप-पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन दिनांक 11 नवम्बर, 2016

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन,

जिला उज्जैन के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	सनसाईन साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	119/07-10-2009	1673/23-07-2016
2.	आस्था साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	23/30-04-2002	1673/23-07-2016
3.	श्री साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	144/08-07-2011	1673/23-07-2016
4.	इण्डस्ट्रियल डबलपमेन्ट साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	125/01-07-2010	1673/23-07-2016
5.	तिरुपति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	99/11-07-2008	1673/23-07-2016
6.	भारत कृषि उपज विपणन सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1563/15-05-2001	1673/23-07-2016
7.	स्वस्तिक बीज सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	75/05-11-2004	1673/23-07-2016
8.	सांवरिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कल्याणपुरा	1999/01-01-2015	2028/24-08-2016
9.	श्री बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हरनावदा	2035/23-01-2015	2029/24-08-2016
10.	कावेरी प्रिंटिंग इण्डस्ट्रीयल को. आ. सोसायटी, उज्जैन	1725/20-05-2009	2013/02-09-2016
11.	दुर्घ सहकारी संस्था मर्या., पालखेड़ी	1900/13-11-2014	2115/02-09-2016
12.	महिला दुर्घ सहकारी संस्था मर्या., बकानिया	2286/05-12-2015	2016/02-09-2016

अतः मैं आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूं कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना देना शेष हो, तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/ आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 11 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

(847)

आर. एल. नागर,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेश्वक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन दिनांक 21 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्या., झिरोल्या, तह. व जिला उज्जैन।	2264/07-10-2015	2358/30-09-2016	2358/30-09-2016
2.	दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्या., गुरला, तह. खाचरौद जिला उज्जैन।	2265/07-10-2015	2358/30-09-2016	2358/30-09-2016

अतः मैं अभय निगम, उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूं कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना देना शेष हो, तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 02 माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रखीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक सूचना आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

(848)

वीरधबल जडे,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक।

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी

सीधी, दिनांक 11 नवम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1105.—निम्नानुसार सूची के कॉलम 2 में उल्लेखित सहकारी संस्थाओं को अधिनियम की धारा-69 (3) अन्तर्गत उनके समक्ष कॉलम क्रमांक 5 में दर्शित कार्यालयीन सूचना पत्रों के द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति में विफल रहने, अधिनियम/नियम एवं उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने, संस्था के संचालक मण्डल द्वारा संस्था की आर्थिक स्थिति को मजबूत नहीं कर पाने, संस्था के विगत वर्षों से अकार्यशील रहने एवं प्रावधानों के अनुरूप नियत समयावधि में संचालक मण्डल के निवाचन में असफल रहने के कारणों के आधार पर सूचना-पत्र जारी किया जाकर 31 अक्टूबर, 2016 तक जवाब चाहा गया था। किन्तु उक्त संस्थाओं द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः मैं, जी. पी. सोनकुसरे, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुए सूची में उल्लेखित संस्थाओं को परिसमापन अन्तर्गत लाते हुए अधिनियम की धारा-70 (1) अन्तर्गत उनके समक्ष कॉलम क्रमांक 6 में उल्लेखित विभागीय कार्यपालिक अधिकारियों/कर्मचारियों को उनका समापक नियुक्त करता हूँ:—

क्र.	स्वायत्त सहकारिता का नाम	संस्था का पंजीकृत नया नाम	पंजीयन क्र./दिनांक	सूचना पत्र क्र./दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4	5	6
1.	जीवन बीमा कर्मचारी साख सहकारिता सीमित, सीधी।	जीवन बीमा कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., सीधी।	1379/18-05-2016	933/05-10-2016	श्री एस. पी. माझी, अंकेक्षण अधिकारी।
2.	महिला स्वयं सुविधा साख सहकारिता सीमित, हिनौती।	महिला स्वयं सुविधा साख सहकारी समिति, मर्या., हिनौती।	1380/18-05-2016	934/05-10-2016	श्री बी. के. सौधिया, वरि. सह. निरीक्षक।
3.	शिव बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, देवघटा।	शिव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवघटा।	1381/18-05-2016	935/05-10-2016	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक।
4.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, सलैया।	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सलैया।	1382/18-05-2016	936/05-10-2016	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक।
5.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, गोपालपुर।	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोपालपुर।	1383/18-05-2016	937/05-10-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक।
6.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, कुंआ।	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुंआ।	1384/18-05-2016	938/05-10-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक।
7.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, ममदर।	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ममदर।	1385/18-05-2016	939/05-10-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक।

1	2	3	4	5	6
30.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, धुंआडोल.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धुंआडोल.	1408/18-05-2016	962/05-10-2016	श्री एच. आर. पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक.
31.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, डडिया.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डडिया.	1409/18-05-2016	963/05-10-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
32.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, बकवा.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बकवा.	1410/18-05-2016	964/05-10-2016	श्री एच. आर. पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक.
33.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, हुहिया.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हुहिया.	1411/18-05-2016	965/05-10-2016	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
34.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, बरौं.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरौं.	1412/18-05-2016	966/05-10-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
35.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, खमचौरा.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमचौरा.	1413/18-05-2016	967/05-10-2016	श्री एच. आर. पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक.
36.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, विशुनी टोला.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विशुनी टोला.	1414/18-05-2016	968/05-10-2016	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
37.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, पनवार बघेलान.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पनवार बघेलान.	1415/18-05-2016	969/05-10-2016	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
38.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, बरसेनी.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरसेनी.	1416/18-05-2016	970/05-10-2016	श्री एच. आर. पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक.
39.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, मझगवां.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझगवां.	1417/18-05-2016	971/05-10-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
40.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, चोरगड़ी.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चोरगड़ी.	1418/18-05-2016	972/05-10-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
41.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, सेमरी.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरी.	1419/18-05-2016	973/05-10-2016	श्री बी. के. सौधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक.
42.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, झांझा.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झांझा.	1420/18-05-2016	974/05-10-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
43.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, अमिलहा.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमिलहा.	1421/18-05-2016	975/05-10-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
44.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, मड़वा.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मड़वा.	1422/18-05-2016	976/05-10-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
45.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, परसिली.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., परसिली.	1423/18-05-2016	977/05-10-2016	श्री एच. आर. पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक.
46.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, बहरी.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बहरी.	1424/18-05-2016	978/05-10-2016	श्री बी. के. सौधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक.
47.	सब्जी उत्पादन स्वायत्त सहकारिता सीमित, चोरगड़ी.	सब्जी उत्पादन सहकारी समिति मर्या., चोरगड़ी.	1425/18-05-2016	979/05-10-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
48.	साग-सब्जी उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, देवार्थ नौदिया.	साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवार्थ नौदिया.	1426/18-05-2016	980/05-10-2016	श्री एच. आर. पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक.
49.	साग-सब्जी उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, रैहाल.	साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रैहाल.	1427/18-05-2016	981/05-10-2016	श्री एच. आर. पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक.

1	2	3	4	5	6
50.	कादम्बरी बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, मनकीसर.	कादम्बरी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मनकीसर.	1428/18-05-2016	982/05-10-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
51.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, कुन्दौर.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुन्दौर.	1429/18-05-2016	983/05-10-2016	श्री एच. आर. पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक.
52.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, चितांग.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चितांग.	1430/18-05-2016	984/05-10-2016	श्री बी. के. सौधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक.
53.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, गजरी.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गजरी.	1431/18-05-2016	985/05-10-2016	श्री एच. आर. पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक.
54.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, ताला.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ताला.	1432/18-05-2016	986/05-10-2016	श्री एच. आर. पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक.
55.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, मझिगवां.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मझिगवां.	1433/18-05-2016	987/05-10-2016	श्री एच. आर. पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक.
56.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, शिवपुर.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शिवपुर.	1434/18-05-2016	988/05-10-2016	श्री बी. के. सौधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक.
57.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, नौडिया.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नौडिया.	1435/18-05-2016	989/05-10-2016	श्री एच. आर. पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक.
58.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, बघौड़ी.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बघौड़ी.	1436/18-05-2016	990/05-10-2016	श्री बी. के. सौधिया, वरि. सहकारी निरीक्षक.
59.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, तितिरा शुकुलान.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तितिरा शुकुलान.	1437/18-05-2016	991/05-10-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
60.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, मौरा.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मौरा.	1438/18-05-2016	992/05-10-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
61.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, बोदारी.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोदारी.	1439/18-05-2016	993/05-10-2016	श्री एच. आर. पनिका, वरि. सहकारी निरीक्षक.
62.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, सहिजनहा.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सहिजनहा.	1440/18-05-2016	994/05-10-2016	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
63.	सब्जी उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, रामपुर नैकिन.	सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर नैकिन.	1441/18-05-2016	995/05-10-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.
64.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, उपनी.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उपनी.	1442/18-05-2016	996/05-10-2016	श्री श्रीधर गुप्ता, सहकारी निरीक्षक.
65.	बीज उत्पादक स्वायत्त सहकारिता सीमित, बड़खरा 740.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बड़खरा 740.	1443/18-05-2016	997/05-10-2016	श्री धीरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2016 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

जी. पी. सोनकुसरे,
उप-रजिस्ट्रार.

(845)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016-अग्रहायण 25, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

निरंक